संस्कृति विभाग, उ0 प्र0 एवं अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या-फैजाबाद

पारम्परिक रामलीला दलों के नित्य प्रदर्शन हेतु आवेदन-पत्र

अयोध्या में प्रतिदिन सायं 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक पारम्परिक रामलीला का मंचन किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ने 26 अप्रैल, 2017 की घोषणा पर दिनांक 03 मई, 2017 से वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु तुलसी स्मारक भवन प्रेक्षागृह, अयोध्या-फैजाबाद में रामलीला का मंचन किया जा रहा है जिसमें नारद मोह, श्रीराम जन्म प्रसंग से श्रीराम राज्याभिषेक तक के प्रसंगों का मंचन किया जाना होगा। इस आयोजन हेतु अपने दल द्वारा मंचन करवाये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नवत है-

आवेदक की नवीनतम रंगीन फोटो

1. दल एवं दल प्रमुख का नाम ....
   पता (निवास प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) ....
   ....
   ....
   दूरभाष न0...................... ई-मेल आई0डी0 ....
2. दल की स्थापना का वर्ष, पता व कलाकारों की संख्या ....
   ....
   ....
3. दल, सोसायटी अधिनियम में पंजीकृत है अथवा नही ....
   पंजीयन संख्या एवं तिथि (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।) ....
4. दल में न्यूनतम 20 एवं अधिकतम 30 सदस्य होना चाहिए जिसकी सूची जिसमें उनकी फोटो व उनका सम्पूर्ण विवरण (शैक्षिक योग्यता, जन्मतिथि, पता एवं फोन नं0 अंकित हो) संलग्न करना होगा। ....
5. दल एवं कलाकारों की विशेष योग्यता, सम्मान आदि का प्रमाण-पत्र संलग्न करें। ....
6. दल का स्तर एवं स्वरूप (प्रदेशीय,राष्ट्रीय,अन्तर्राष्ट्रीय) ....
7. **दल एवं दल प्रमुखों के बैंक, पैन विवरण-**
   बैंक का नाम व शाखा............................ ....
   खाता सं0................................ पैन/टैन सं0................................
8. रामलीला मंचन की शैली ....
   (यदि किसी प्रसंग विशेष में अद्भुत प्रदर्शन की क्षमता हो तो उसे विशिष्ट रूप से उल्लिखित किया जाय।) ....
9. प्रतिभूति रु0 5000/- का डी.डी. अथवा बैंक जमा संस्थान के खाता सं0 30412408838 में (रसीद की प्रति संलग्न करें)
10. स्थानीय दलों के अतिरिक्त अन्य दलों के अयोध्या में स्थानीय अवस्थान का पता ....
    ....
    ....

दिनांकः

हस्ताक्षर.................................

आवेदक का नाम.........................

पता....................................

पारम्परिक रामलीला मंचन हेतु सूचना एवं शर्तें

1. प्रस्तुति अवधि में जनपद के बाहर से आये दलों को भोजन व्यवस्था लगभग 20-25 कलाकारों हेतु एकमुश्त 15 दिवस हेतु रू. 20,000.00 तथा आवास हेतु रू. 20,000.00 दिया जायेगा।
2. बाहर से आने वाले दलों को ट्रेन की........... श्रेणी एवं साधारण बस से आवागमन का वास्तविक व्यय संस्थान द्वारा भुगतान किया जायेगा। ट्रक आदि से मंचन से सम्बन्धित सामग्री लाने पर वास्तविक विपत्र प्रस्तुत किये जाने पर विपत्र के आधार पर देय अथवा 100 किमी. की दूरी तक आने व जाने का रू. 10,000.00 व 200 किमी. या उससे अधिक दूरी तक आने-जाने वाले दलों को रू. 20,000.00 एवं 300 किमी या उससे अधिक दूरी तक आने-जाने का ट्रक भाड़ा रू. 30,000.00 अधिकतम एवं अंतिम सीमा तक देय होगी। फैजाबाद शहर एवं फैजाबाद के आस-पास के दलों को स्थानीय मार्ग व्यय एकमुश्त रू. 5,000.00 देय होगा।
3. 15 दिवसीय प्रस्तुति में दलों को रू0 8,500.00 प्रतिदिवस की दर से मानदेय का भुगतान संस्थान द्वारा चेक/नेफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।
4. आवेदन किये गये दलों में से चयन समिति द्वारा संस्तुत दलों को निर्धारित तिथि पर रामलीला प्रस्तुति हेतु आमन्त्रित किया जायेगा। रामलीला प्रस्तुति हेतु आमन्त्रण का सर्वाधिकार अध्यक्ष, अयोध्या शोध संस्थान में निहित होगा। अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। उसके उपरान्त भी यदि रामलीला प्रस्तुति हेतु किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद उत्पन्न होता है तो फैजाबाद न्यायालय में ही विचार होगा। किसी प्रकार की सिफारिश को दल की अयोग्यता समझी जायेगी।
5. किसी दल द्वारा स्तरीय प्रस्तुति न किये जाने एवं मर्यादा से विपरीत होने पर अनुबन्ध तत्काल निरस्त करते हुये प्रस्तुति बन्द करवा दी जायेगी और संस्थान से प्रस्तुति किये गये दिवसों की रामलीला के भुगतान का निर्णय संस्थान के अध्यक्ष महोदय में निहित होगा।
6. आयकर नियमों के अनुपालन में पैन नम्बर अथवा टैन नम्बर की अनिवार्यता होगी। बिना पैन अथवा टैन नम्बर के आवेदन स्वीकार नहीं होगा। भुगतान की जाने वाली राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जायेगी।
7. आवेदक एवं अन्य कलाकारों का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
8. चयन उपरान्त भी यदि किसी समय यह प्रकाश में आता है कि आवेदन-पत्र में दिये गये अभिलेख व मूल अभिलेखों में भिन्नता है अथवा वर्णित सूचनाएं गलत हैं तो ऐसी स्थिति में उनका कार्यक्रम निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका कोई भी भुगतान संस्थान से देय नही होगा तथा जमानत राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में उनके विरूद्ध सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जा सकती है तथा उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची के दल को अवसर प्रदान किया जायेगा।
9. एक वित्तीय वर्ष में एक बार ही प्रस्तुति का अवसर प्रदान किया जायेगा। दोबारा प्रस्तुति किये जाने का ज्ञात होने पर भुगतान राशि से 25 प्रतिशत राशि कटौती कर ली जायेगी।

10. कोई भी दल किसी भी कलाकार को दो बार से अधिक कार्यक्रम में प्रस्तुति नहीं करवायेगा। यह दल प्रमुख की विशेष जिम्मेदारी होगी। यदि किसी स्तर पर यह पाया गया कि एक ही कलाकार द्वारा दो मंचन से अधिक बार भाग ले रहा है तो देय धनराशि में से 25 प्रतिशत तक की कटौती की जायेगी।
11. आवेदन के साथ कलाकारों की सूची जिसमें कलाकारों का नाम, पिता का नाम, पता, व्यवसाय, दूरभाष नम्बर तथा फोटोयुक्त वैद्य पहचान-पत्र एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. आवेदन पत्र निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, तुलसी स्मारक भवन, अयोध्या, फैजाबाद, उ0प्र0 के पते पर पंजीकृत डाक से अथवा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा किये जा सकते हैं। अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि ....होगी। आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाइटwww.ayodhya.co/अथवा www.ayodhyaresearchinstitute.co/ अथवा www.upculture.up.nic.in अथवा संस्थान के कार्यालय निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, तुलसी स्मारक भवन, अयोध्या से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।
13. रामलीला दल प्रमुखों को आवेदन किये गये प्रदेश व जिला की पारम्परिक शैली में उसी स्थान के कलाकारों से रामलीला प्रदर्शन करवाया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुबन्ध समाप्त कर प्रस्तुति बन्द कर दी जायेगी और प्रतिभूति धनराशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
14. आवेदक को आवेदन-पत्र के साथ रू0 10.00 के स्टाम्प पर नोटरी बयान हल्फी में भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। जो निर्धारित शर्तों के अधीन अनुबन्धित होगा आवेदन के साथ संलग्न किया जाय।
15. रामलीला दलों का चयन आमंत्रित/अधिक प्राप्त आवेदनों को लाटरी पद्धति के आधार पर किया जायेगा।

<u>शपथ-पत्र</u>

" मै सशपथ यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनायें मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य है। यदि किसी अवसर पर उक्त सूचनायें असत्य एवं गलत पायी जाती है तो उसके लिए मै उत्तरदायी होऊँगा।"

आवेदक का हस्ताक्षर

(दस रुपये के स्टाम्प पर)

अनुबन्ध-पत्र

1. यह कि आवेदन पत्र में शर्तें एवं सम्पूर्ण विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास से सत्य है। असत्य एवं गलत पाये जाने पर अनुबन्ध स्वतः निरस्त समझा जाए और नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।
2. यह कि मेरे दल के अनुरुप निर्धारित मानदेय एवं अन्य सुविधाएं मुझे स्वीकार हैं।
3. यह कि रामलीला का मंचन मर्यादा की सीमान्तर्गत आयोजित करना होगा। किसी भी प्रकार की अमर्यादित प्रदर्शन पर रोक लगाकर अनुबन्ध निरस्त करते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर कालातीत किया जा सकता है।
4. मंचन के समय किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन करना प्रतिबन्धित होगा।
5. दल प्रमुख को प्रस्तुति से एक दिन पूर्व पहुँचना अनिवार्य होगा।
6. यह कि प्रत्येक दिवस में आवेदन में अंकित कलाकारों की संख्या के अनुसार उपस्थित रहना होगा।
7. यह कि दल निर्धारित तिथि(मंचन) तक न पहुँचने पर प्रतीक्षा सूची के दलों को अवसर प्रदान कर दिया जायेगा। यदि दल का विघटन होने या किसी कलाकार की मृत्यु होने या इन्कार करने की दशा होने की स्थिति में प्रस्तुति से 05 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से सूचित एवं अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
8. यह कि कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात विपत्र की औपचारिकता पूर्ण करते हुए प्रस्तुति करना होगा उसके पश्चात भुगतान की प्रक्रिया शीघ्रता से करना होगा।
9. यह कि रामलीला मंचन हेतु पर्दा, वाद्य यन्त्र की व्यवस्था दल के स्तर से करना होगा। संस्थान द्वारा ध्वनि, प्रकाश, मंच की साज-सज्जा करना होगा और मंचन समय 06.00 बजे सायं से 09.00 बजे रात्रि तक निश्चित रूप में करना होगा।
10. यह कि मंचन अवधि में जानबूझ कर कोई क्षति पहुँचाई जाती है तो क्षतिपूर्ति अदा करना होगा।

मैं शपथ पूर्वक यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त शर्तें एवं प्रतिबन्ध मान्य हैं किसी प्रकार की सूचना एवं अभिलेख असत्य पाये जाने पर मैं उत्तरदायी होऊँगा।

हस्ताक्षर..........................

नाम..............................

पता..............................

प्रति हस्ताक्षरित

निदेशक

अयोध्या शोध संस्थान

अयोध्या-फैजाबाद

<u>विज्ञापन प्रारूप</u>

अयोध्या शोध संस्थान, संस्कृति विभाग, उ0प्र0

रामलीला चयन हेतु आवेदन

अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या-फैजाबाद द्वारा अयोध्या में दिनांक 03 मई, 2017 से पुनः पारम्परिक नित्य रामलीला का मंचन सायं 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक किया जा रहा है। दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 से रामलीला मंचन हेतु रामलीला दलों का आवेदन पत्र आमंत्रित है। देश के पारम्परिक रामलीला दलों से 15 दिवसीय प्रस्तुति हेतु नारद मोह से श्री राम राज्याभिषेक (राजगद्दी) तक के प्रसंगों के मंचन के लिये निर्धारित प्रपत्र पर विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 20 नवम्बर, 2017 सायं 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्वयं संस्थान के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। जिसका चयन दिनांक 25.11.2017 को समय 11:30 बजे समिति द्वारा विशेष प्रसंग पर आधारित 20 मिनट अवधि की प्रस्तुति देखने के पश्चात चयन किया जायेगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा। इस वित्तीय वर्ष में पूर्व चयनित दलों/कलाकारों को अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

आवेदन का प्रारूप तथा नियम व शर्तें विभागीय वेबसाइट **www.upculture.org/upculture.up.nic.in/www.ayodhya.co** अथवा निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, तुलसी स्मारक भवन, अयोध्या-फैजाबाद कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रशासनाधिकारी
अयोध्या शोध संस्थान,
अयोध्या-फैजाबाद